बिहार विधान परिषद्

185वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 09 चैत्र, 1939 (श.) / 30 मार्च, 2017 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 13

1.	समाज कल्याण विभाग	-	-	02
2.	वित्त विभाग	-	-	03
3.	जल संसाधन विभाग	-	-	01
4.	पर्यावरण एवं वन विभाग	-	-	01
5.	वाणिज्यकर विभाग	-	-	01
6.	श्रम संसाधन विभाग	-	-	01
7.	योजना एवं विकास विभाग	-	-	01
8.	गृह (विशेष) विभाग	-	-	02
9.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	01
			कुल योग	– 13

पदाधिकारियों पर कार्रवाई

अ-130. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में वरिष्ठ व्यक्तियों के लिए पारिवारिक पेंशन देने का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सही है कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय एवं शेखपुरा जिलों में समय पर पेंशन नहीं मिलने से वरिष्ठ लोग परेशान हैं तथा अपनी परेशानियों से संबंधित पदाधिकारियों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त जिलों में पारिवारिक पेंशन में हो रही अनियमितता के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

एकमुश्त भुगतान

ब-160. **श्री सूरज नन्दन प्रसाद** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सरकार का ध्यान दैनिक समाचार पत्र, प्रभात खबर में प्रकाशित दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अंक में शीर्षक 'राज्य सरकार नॉन बैंकिंग कंपनियों पर कसेगी शिकंजा' पर गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया इसी तरह की एक नॉन बैंकिंग संस्था है जिसका मुख्य कार्यालय पटना स्थित बोरिंग रोड के राज टावर स्थित सहारा बिहार एवं अन्य उप शाखाएं सैकड़ों की संख्या में पटना के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हैं;

(ग) क्या यह सही है कि ये शाखायें एवं फ्रेंचाइचिज शाखाओं में भोली-भाली जनता की गाढ़ी कमाई अधिक ब्याज का सब्जबाग दिखाकर करोड़ों रुपए, सावधि (मियादी, आवर्ती एवं दैनिक खाताओं) वर्षों से निवेश कराया गया है;

(घ) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया की दानापुर, फुलवारीशरीफ, चितकोहरा बाजार, डाक बंगला तथा श्रीकृष्णापुरी, पटना की शाखाओं में भुगतान एकमुश्त नहीं किया जा रहा है तथा महीनों टहलाया जा रहा है तथा पुन: निवेश करने के लिए बाध्य किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'घ' में वर्णित शाखाओं के शाखा प्रबंधकों पर प्राथमिकी दर्ज कर जनता के द्वारा निवेशित जमा राशि के मैच्यूरिटी, समय एकमुश्त भुगतान दिलवाने हेतु कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर : (क) स्वीकारात्मक है।

अ - दिनांक 18 मार्च, 2017 से स्थगित।
ब - दिनांक 23 मार्च, 2017 से स्थगित।

(ख) स्वीकारात्मक है।

(ग) NBFCs कम्पनियों के क्रिया-कलापों की जांच एवं अन्य कार्रवाई हेतु BPID Act-2002, नियमावली-2004 एवं संशोधित अधिनियम-2013 की धारा-05 के अंतर्गत सरकार के निदेश के आलोक में अपर समाहर्ता, विशेष कार्यक्रम, पटना को सक्षम प्राधिकार के रूप में नामित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय ज्ञापांक-2880/गो., दिनांक 15.03.2017 के द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अपर समाहर्ता (विशेष कार्यक्रम)-सह-सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रश्नगत मामले की जांच की जा रही है।

(घ) उपरोक्त के अनुसार मामले की जांच सक्षम प्राधिकार द्वारा की जा रही है।

(ङ.) BPID (amendment) Act-2013, की धारा 3, 2(क)(1) के अंतर्गत कार्य करने हेतु विधिवत सूचना नहीं दी गई है। उपरोक्त खंड-ग के अनुरूप प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई संबंधित संस्था के विरुद्ध की जाएगी।

अतिक्रमण से मुक्ति

246. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बाल्मीकिनगर पश्चिमी चम्पारण से मेन कैनाल निकली है जो जिला-पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण होते हुए मुजफ्फरपुर जिला से हाजीपुर तक तिरहुत नहर प्रमंडल के अंतर्गत किसानों की सिंचाई हेतु नहरों एवं उप वितरणी का जाल फैला हुआ है, जबकि नहरों के निर्माण हेतु सैकड़ों किसानो की जमीन को जल संसाधन विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2008-2009 से वर्ष 2013-14 में नहरों के पुनर्स्थापन का कार्य पूरा किया गया। जिसकी सिंचाई पूर्वी चम्पारण के गायघाट मेन कैनाल से उप-वितरणी निकलती है जो जयसिंहपुर होते हुए बंजरिया प्रखंड के चंचल बाबा के मठ स्थित सड़क को क्रॉस कर मोतिहारी मोतीझील में पानी की निकासी होती है;

(ग) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिले में 537 आर.डी. तक नहरों की लम्बाई है जो तिरहुत मेन कैनाल 537 आर.डी. से बेतिया होते हुए पहाड़पुर एवं अरेराज तथा तुरकौलिया से चकिया तक पहुंचती है लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरकार द्वारा जयसिंहपुर होते हुए बंजरिया प्रखंड के चंचल बाबा के मठ तक करोड़ों रुपये की लागत से खुदाई होने के बाद आजतक एक बूंद पानी की निकासी नहीं हुई एवं किसानों के खेतों की सिंचाई भी नहीं हो सकी, उक्त अधिकांश नहरों का अतिक्रमण कर उसपर मकान का निर्माण एवं भरकर रास्ता का निर्माण अवैध ढंग से सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों की मेलजोल से किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उक्त स्थान पर नहरों में पानी देने, किसानों को सिंचाई की व्यवस्था करने तथा नहरों पर मकान एवं मिट्टी भरकर रास्ता बनाने वालों तथा मिलीभगत करनेवाले पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कपड़ा प्रबंधन की व्यवस्था

247. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सुपौल बाजार के मध्य कमला नदी में एक चूड़ा मिल के संचालक द्वारा नदी को राख से भरने की सूचना पर स्थल निरीक्षण किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर निरीक्षण के पश्चात् मिल मालिक का 15 दिनों के अंदर राख को साफ करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था, परन्तु अभी तक साफ नहीं होने पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य की नदियों के बगल में स्थापित औद्योगिक संस्थानों के कचड़ा प्रबंधन के लिए व्यवस्था करने की कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राजस्व संग्रह

248. **श्री सूरज नंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, वाणिज्य कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार द्वारा 220010/करोड़ रुपये वाणिज्य संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि चालू वित्तीय वर्ष के दस माह बीत जाने के बावजूद अबतक 12200/ करोड़ रुपये ही वाणिज्यकर संग्रह हो सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष के शेष दो माह में खंड 'क' में वर्णित राजस्व संग्रह के लक्ष्य को वसूलने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है?

भारी असंतोष व्याप्त

249. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सितम्बर, 2014 के पूर्व उत्पाद सिपाही एवं बिहार सचिवालय भोजशाला के लिपिकों का ग्रेड-पे समतुल्य था लेकिन वित्त विभाग के ज्ञापांक सं.-8630(वि.) पटना, दिनांक 17.09.2014 के द्वारा उच्च शैक्षणिक योग्यता 10+2 का प्रावधान करते हुए उत्पाद सिपाही के लिए पी.बी.1 +2000/-रुपये का ग्रेड-पे अनुमान्य किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना के लिपिकों को भी जो सितम्बर 2014 के पूर्व उच्च शैक्षणिक योग्यता (10+2) के योग्यता धारक हैं, जिन्हें पी.बी. +1900/-रु. ग्रेड-पे पर ही रखा गया है, जिससे भोजशाला के उच्च शैक्षणिक योग्यताधारक लिपिकों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्च शैक्षणिक योग्यता (10+2) का प्रावधान करते हुए उत्पाद सिपाही की तरह उनका भी ग्रेड-पे पी.बी.-1+2000/-रु. करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

चयनित स्थल पर आई.टी.आई. कब से

250. **डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत डुमरिया प्रखंड के सेवरा पंचायत के वलीचक, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, में आई.टी.आई. की स्थापना के लिए शिलान्यास विगत विधान सभा चुनाव के पूर्व हुआ है;

(ख) क्या यह सही है कि आई.टी.आई. की आधारभूत संरचना शिलान्यास स्थल पर न कर डेढ़ सौ कि.मी. दूर खिजरसराय प्रखंड के महकार में आई.टी.आई. के साथ संबद्ध कर दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से भटकने से रोकने के लिए चयनित स्थल पर आधारभूत संरचना रखते हुए निर्धारित पाठयक्रम चलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

राशि का अपव्यय

251. **श्री विनोद नरायण झा** : क्या मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों को योजना मद के आवंटन की राशि का मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विचलन किया गया है, यदि हां तो पूर्व निर्धारित योजनाओं से कटौती कर सात निश्चय योजना में राशि का अपव्यय करने का क्या औचित्य है?

शाखा खोलने पर विचार

252. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बेगूसराय जिले के अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय सफापुर के लिए यूको बैंक के जोनल कार्यालय ने अपनी शाखा खोलने की अनुमति दी है;

(ख) क्या यह सही है कि पंचायत मुख्यालय में सरकार भवन, अस्पताल के साथ ही साथ यूको बैंक के लिए भी सुरक्षित भवन उपलब्ध है तथा इस पंचायत की आबादी 800 से अधिक हो गयी है, जहां बैंकिंग सेवा नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक यूको बैंक की शाखा खोलने के लिए संबंधित बैंक को निदेश देना चाहती है?

थाना अपने नए भवन में कबतक

253. **श्री हरि नारायण चौधरी** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला का कल्याणपुर थाना वर्षों से व्यापार मंडल के पुराने भवन में चल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि 2 वर्ष पूर्व से ही थाना का नया भवन बनकर तैयार है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कल्याणपुर थाना को अपने नये भवन में कबतक स्थापित करेगी, यदि नहीं तो क्यों?

केस उठाने पर विचार

254. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला स्थित मुजफ्फरपुर में पुलिस अभिरक्षा में कचहरी में दिन दहाड़े हत्या हो गई, सूरज एवं उनके परिजनों द्वारा मोतीझील थाना के तत्कालीन इंस्पेक्टर से जीप से न्यायालय भेजने की गुहार लगाने के बावजूद इंस्पेक्टर द्वारा कमर में रस्सा एवं दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर सिपाही के साथ पैदल कोर्ट न्यायालय में भेजा गया, जिससे हत्यारे, हत्या करनेवाले की साजिश में तत्कालीन इंस्पेक्टर का संदेह साबित होता है;

(ख) क्या यह सही है कि सूरज की हत्या की जांच के क्रम में पुलिस द्वारा हत्या करवाने वाले वसीम व चाचा शमशाद उर्फ हउआ के कॉल डिटेल सुपारी देकर खगड़िया के शुटर बुलाने हेतु मोबाइल टावर लोकेशन की प्रारंभिक जांच-पड़ताल के आधार पर पुलिस द्वारा साबित किया गया है, सूरज की हत्या के पहले पुलिस के कथनानुसार एवं सूरज के परिजनों द्वारा भी बताया गया कि नये चेहरों यानी हत्यारों के साथ वसीम व शमशाद उर्फ हउआ करीब एक सप्ताह से घर एवं न्यायालय के पास मंडरा एवं रेकी कर रहे थे;

(ग) क्या यह सही है कि सूरज हत्याकांड में हत्यारे के साथ-साथ पुलिस इंस्पेक्टर भी संदेह के घेरे में होने के कारण सूरज के परिवार पिता-बहन-भाई एवं बहनोइयों पर दबाव डालने एवं केस को उठाने हेतु एफ.आई.आर. दर्ज किया गया जो सरासर गलत एवं अपराधियों को शह देता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सूरज के परिवार पर दर्ज केस को उठाने, हत्या में शामिल हत्यारे तथा हत्या कराने वाले पर स्पीडी ट्रायल कराने तथा हत्या करवाने वाले, हत्या करनेवाले एवं पुलिस इंस्पेक्टर मोबाइल का क्राइम डिटेल निकाल कर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संग्रहालय में स्थानांतरण

255. **श्री सूरजनंदन प्रसाद** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिला के सरैया थाना में पंचमार्क सिक्के, बेगूसराय जिला के बलिया थाना में बुद्ध प्रतिमा, दरभंगा जिला के जाले थाना में विष्णु की प्रतिमा , मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना में उमा महेश्वर की प्रतिमा के अलावे राज्य के कई थानों के मालखानों में महत्वपूर्ण पुरावशेष रखे हुए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थानों के मालखानों में पुरावशेषों के रखने का मुख्य कारण कानून-व्यवस्था, चोरी हुई वस्तुजातों की बरामदगी एवं इससे जुड़े कई कारण हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त महत्वपूर्ण पुरावशेष थाना के मालखानों की बजाय नजदीक के सरकारी संग्रहालय में रखा जाना चाहिए;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर थानों में पड़े पुरावशेषों को नजदीक के संग्रहालय में स्थानांतरित करने हेतु ठोस एवं समयबद्ध प्रयास करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कैमरा को बदलने का विचार

256. **डा. दिलीप कुमार चौधरी** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड स्तर के कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन सहित अन्य आवेदनों को भरते समय आवेदक का फोटो खींचा जा रहा है, लेकिन किसी भी आवेदन पर किसी का फोटो स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है;

(ख) क्या यह सही है कि काउंटर पर लगा फोटो खींचने वाला कैमरा बीते कई महीनों से खराब है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कैमरा को यथाशीघ्र बदलना चाहती है, ताकि लोगों को बार-बार हो रही परेशानियों से निजात मिल सके, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 30 मार्च, 2017